इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2016—भाद्र 24, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 14938-248-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 सितम्बर, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१६.

[दिनांक ६ सितम्बर, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १५ सितम्बर, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २०१० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थीं, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१६ है.

३१ मार्च, २०१० को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये १,२३,९५,३२,५४० का दिया जाना. २. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ तेईस करोड़, पचानवे लाख, बत्तीस हजार, पांच सौ चालीस होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०१० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग. ३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २०१० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएँ और प्रयोजन		(३) आधिक्य मतदत्त	भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
०३.	पुलिस				
		राजस्व	८५,७१,७२,९७०	०	८५,७१,७२,९७०
२७.	स्कूल शिक्षा				
		राजस्व	३१,६९,४३,६१२	०	३१,६९,४३,६१२
३२.	जनसंपर्क				
		राजस्व	१,८९,२३,३३८	०	१,८९,२३,३३८
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग				
		राजस्व	४,६४,९२,६२०	०	४,६४,९२,६२०
	योग :		१,२३,९५,३२,५४०	०	१,२३,९५,३२,५४०

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 14938-248-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2016

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 5) ACT, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 6th September, 2016; assent first published in the"Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 15th September,, 2016.]

An Act to Provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2010 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 2016.

Issue of ₹ 1,23,95,32,540 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2010.

2. **From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ₹ One Hundred Twenty Three Crores Ninety Five Lakhs Thirty Two Thousands Five Hundred Fourty Rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount. Spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the Financial Year ended on the 31st day of March, 2010 in excess of the amounts granted for those services and that year.**

Appropriation.

3. **The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act Shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2010.**

THE SCHEDULE
(*See* Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Service and purpose	(3) Excess Voted	Charged	Total
		Rs.	**Rs.**	Rs.
3.	Police	85,71,72,970	**0**	85,71,72,970
27.	School Education	31,69,43,612	**0**	31,69,43,612
32.	Public Relations	1,89,23,338	**0**	1,89,23,338
49.	Schedule Caste Welfare	4,64,92,620	**0**	4,64,92,620
	Total :	1,23,95,32,540	**0**	1,23,95,32,540

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.